प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ : माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं

:माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायधीश

आपराधिक अपील क्रमांक 181/2006

अपीलकर्ता –

1. बसंत राम पिता श्री लालदेव राम,आयु लगभग 19 वर्ष, व्यवसाय – कृषक,
2. हेमंत राम पिता श्री लालदेव राम,आयु लगभग 23 वर्ष, व्यवसाय – कृषक,

दोनों निवासी – ग्राम मरोल, थाना कांसाबेल, तहसील – बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.)

विरुद्ह

प्रतिवादी –

छत्तीसगढ राज्य, द्वारा थाना
कांसाबेल, जिला जशपुर (छ.ग.)

तथा

आपराधिक अपील क्रमांक 182/200

अपीलकर्ता –

1. अशोक कुमार यादव पिता श्री लगनू राम,आयु लगभग 22 वर्ष, व्यवसाय – ट्रैक्टर चालक,
2. अरविंद राम पिता श्री इंदर साई, आयु लगभग 31 वर्ष, व्यवसाय – कृषक,

दोनों निवासी – ग्राम मरोल, थाना कांसाबेल, तहसील – बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रतिवादी –

छत्तीसगढ राज्य, द्वारा, थाना कांसाबेल, जिला जशपुर (छ.ग.)

आपराधिक अपील क्रमांक 181/2006 तथा 182/2006

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत अपील

उपस्थिति :

श्री श्रवण अग्रवाल, अधिवक्ता – अपीलकर्ताओं की ओर से।

श्री जमील अख्तर लोहानी, पैनल अधिवक्ता – राज्य की ओर से।

निर्णय

(27.04.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **न्यायधीश सुनील कुमार सिन्हा**, द्वारा पारित किया गया :-

(1) ये अपीलें दिनांक 9 जनवरी, 2006 को सत्र न्यायधीश, जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.) द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 64/2005 में पारित निर्णय के विरुद्ध निर्देशित हैं। उक्त आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 302/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा उन्हें आजीवन कारावास भुगतने तथा ₹1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड न देने की स्थिति में 6 माह के कठोर कारावास का दण्डादेश दिया गया है।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं :-

मृतक – फिरदोस तथा उसकी माता – श्रीमती टी. चौहान (आ0सा0-5), संयुक्त रूप से ग्राम मरोल, तहसील – बगीचा, जिला जशपुर में निवास करते थे। दिनांक 27.3.2005 को प्रातः लगभग 7.00 – 7.30 बजे मृतक का शव उसके घर के पीछे एक खुले स्थान पर पाया गया। ग्रामवासियों ने सर्वप्रथम इसकी सूचना उसकी माता श्रीमती टी. चौहान (आ0सा0-5) को दी और तत्पश्चात ग्राम चौकीदार – पदुमनाथ को बुलाया गया। पदुमनाथ (आ0सा0-1) ने मर्ग सूचना (प्रदर्श पी/1) दर्ज कराई। विवेचना अधिकारी घटना स्थल पर पहुँचे, पंचों को सूचना (प्रदर्श पी/10) दी तथा मृतक के शव का पंचनामा (प्रदर्श पी/2) तैयार किया। मृतक की गर्दन के चारों ओर एक रस्सी पाई गई। मृतक के शव को शव-परिक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कांसाबेल भेजा गया। शव-परिक्षण परीक्षण डॉ. वाई.के. टोप्पो (आ0सा0-3) द्वारा किया गया। यद्यपि उन्होंने मृतक के शव पर अनेक चोटें देखीं, किन्तु उन्हें गर्दन के चारों ओर कोई लिगेचर मार्क नहीं मिला। शव परीक्षण करने वाले शल्य चिकित्सक ने अभिमत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण गला दबाने से उत्पन्न श्वासरोध था और यह प्रकृति में मानव-वध था। आगे की विवेचना में दिनांक 3.4.2005 को ननहुराम (आ0सा0-2) का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अभिलिखित किया गया। ननहुराम (आ0सा0-2) ने कथन किया कि दिनांक 26.3.2005 एवं 27.3.2005 की मध्यवर्ती रात्रि में अपीलकर्ताओं ने ग्राम केरकाचार में मृतक की हत्या की और तत्पश्चात उसका शव ग्राम मरोल लाकर मृतक के घर के पीछे के भाग में फेंक दिया। अभियोजन का मामला पूर्णतः एकमात्र चक्षुदर्शी गवाह ननहुराम (आ0सा0-2) के चक्षुदर्शी कथन पर आधारित था। विद्वान सत्र न्यायधीश ने ननहुराम (आ0सा0-2) की साक्ष्य पर भरोसा किया और यह अभिलिखित किया कि संदेह से परे यह सिद्ध हो गया है कि अपीलकर्ताओं ने दिनांक 26.3.2005 एवं 27.3.2005 की मध्यवर्ती रात्रि में मृतक की हत्या

की, और इस प्रकार वे भारतीय दण्ड संहिता की उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत दण्ड के लिए उत्तरदायी हैं।

(3) अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्रवण अग्रवाल ने तर्क प्रस्तुत किया कि घटना दिनांक 26.3.2005 एवं 27.3.2005 की मध्यवर्ती रात्रि में हुई थी और एकमात्र चक्षुदर्शी ननहुराम (आ0सा0-2) का धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन दिनांक 3.4.2005 को अभिलिखित किया गया, अतः ननहुराम (आ0सा0-2) द्वारा कथन के प्रकटीकरण में अत्यधिक विलम्ब हुआ, जिससे उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाती है। उन्होंने यह भी तर्क किया कि ननहुराम (आ0सा0-2) को पुलिस द्वारा दिनांक 28.3.2005 को ले जाया गया था और उसे 2.4.2005 तक अभिरक्षा में रखा गया तथा उसके पश्चात उसका उपरोक्त कथन अभिलिखित किया गया। उनके अनुसार ननहुराम (आ0सा0-2) दिनांक 27.3.2005 से ही पुलिस के पास उपलब्ध था। अतः यह समझ से परे है कि उसने दिनांक 3.4.2005 तक उपरोक्त तथ्यों का प्रकटीकरण पुलिस के समक्ष क्यों नहीं किया। उन्होंने प्रकरण के उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर एकमात्र चक्षुदर्शी ननहुराम (आ0सा0-2) की साक्ष्य पर आपत्ति की।

(4) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री जमील अख्तर लोहानी ने इन तर्कों का विरोध किया तथा सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(5) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(6) हत्या प्रकरण की विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी साक्षी का कथन अभिलिखित करने में किया गया अनुचित एवं अस्पष्टीकृत दीर्घ विलम्ब, ऐसे साक्षी की साक्ष्य को अविश्वसनीय बना देगा। क्योंकि इस विलम्ब से वास्तविक घटना के स्थान पर भिन्न कथन गढ़ने का अवसर मिल जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि जहाँ किसी हत्या प्रकरण में सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण उस व्यक्ति की साक्ष्य पर निर्भर करता हो जो स्वयं को चक्षुदर्शी बताता है और उस साक्षी ने दीर्घ अवधि तक हमलावर का नाम प्रकट नहीं किया तथा ऐसे अप्रकटीकरण के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं

किया गया, तो ऐसा अप्रकटीकरण उस साक्षी की साक्ष्य की विश्वसनीयता के संबंध में एक गंभीर त्रुटि माना जाएगा। (देखें बालकृष्ण स्वैन विरुद्ह उड़ीसा राज्य, AIR 1971 SC 804, उड़ीसा राज्य विरुद्ह श्री ब्रह्मानंद नंदा, AIR 1976 SC 2488 तथा बच्चू नारायण सिंह विरुद्ह नरेश यादव एवं अन्य, AIR 2004 SC 3055)।

(7) प्रदीप कुमार जायसवाल विरुद्ह छत्तीसगढ़ राज्य, 2010 CRILJ 545 में इस न्यायालय द्वारा यह अभिधारित किया गया है कि चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा विलम्ब से प्रकटीकरण किए जाने के सभी प्रकरणों में कोई एक समान कठोर सूत्र लागू नहीं किया जा सकता और साक्षियों की विश्वसनीयता का आकलन प्रत्येक प्रकरण के विद्यमान तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। तथापि, ऐसा निष्कर्ष सामान्य मानवीय आचरण तथा संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें ऐसे जघन्य अपराध के किए जाने से संबंधित तथ्यों के अप्रकटीकरण के संबंध में प्रस्तुत स्पष्टीकरण भी सम्मिलित हो, निकाला जाना चाहिए।

(8) ननहुराम (अभियोजन साक्षी-2) इस प्रकरण में एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी है। उसने अपने कथन में कहा कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में लगभग 8.00 बजे मृतक – फिरदोस उसके पास आया और उसे ग्राम केरकाचार घूमने चलने के लिए कहा। इसके पश्चात वे दोनों ग्राम केरकाचार गए। जब वे ग्राम केरकाचार में पुलिया के पास पहुँचे, तब सोनकी बाई (अभियोजन साक्षी-6) भी वहाँ आ गई। सोनकी बाई (अभियोजन साक्षी-6) पूर्व से ही मृतक को जानती थी। वे ग्राम केरकाचार में पुलिया पर बैठे हुए थे। तभी अपीलकर्ता वहाँ आए और उन्होंने सोनकी बाई (अभियोजन साक्षी-6) को डांटा तथा उसे घर भेज दिया। सोनकी बाई (अभियोजन साक्षी-6) अपीलकर्ता हेमंत राम की बहन है। इसके पश्चात उन्होंने मृतक का पीछा किया। मृतक का पीछा करने के बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की। अपीलकर्ता हेमंत राम और अरविंद राम ने मृतक की गर्दन में रस्सी डालकर उसे कस दिया, जिसके कारण मृतक नीचे गिर पड़ा। उस समय अपीलकर्ता अशोक कुमार और बसंत राम मृतक के हाथ और पैर पकड़े हुए थे। इसके पश्चात सभी अपीलकर्ता मृतक के शव को ग्राम मरोल में उसके घर के पीछे के भाग में ले गए और वहाँ शव फेंक दिया। प्रतिपरीक्षण में, कंडिका 16 में, ननहुराम (अभियोजन साक्षी-2) ने स्वीकार किया कि पंचनामा के मात्र 2 दिन बाद उसे पुलिस ने पकड़ लिया था और उसे

थाना कांसाबेल ले जाया गया था। उसे कई दिनों तक थाना में रखा गया और अंततः 1 या 2 अप्रैल, 2005 को पुलिस द्वारा उसे छोड़ दिया गया। उसने प्रतिपरीक्षण में आगे यह भी स्वीकार किया कि थाना में दरोगा ने उससे पूछताछ की थी और उसके कथन पर अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। यह स्वीकारित स्थिति है कि ननहुराम (अभियोजन साक्षी-2) का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत कथन दिनांक 3.4.2005 को अर्थात घटना के 9वें दिन अभिलिखित किया गया। जब ननहुराम (अभियोजन साक्षी-2) घटना की तिथि से ही ग्राम में उपस्थित था, तब उसने पंचनामा के अवसर पर अथवा उसके पश्चात किसी भी अवसर पर उपर्युक्त तथ्यों का प्रकटीकरण पुलिस के समक्ष क्यों नहीं किया। यहाँ तक कि जब उसे पुलिस द्वारा ले जाकर 4-5 दिनों तक अभिरक्षा में रखा गया, तब भी उसने घटना के संबंध में पुलिस को कुछ नहीं बताया। विलम्ब से प्रकटीकरण के संबंध में अभियोजन द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। यहाँ तक कि ननहुराम (अभियोजन साक्षी-2) ने स्वयं भी यह कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया कि उसने लगभग 9 दिनों तक इन सभी तथ्यों का पुलिस के समक्ष प्रकटीकरण क्यों नहीं किया। यदि वास्तव में ननहुराम (अभियोजन साक्षी-2) इन सभी तथ्यों से अवगत था और जैसा कि उसने दावा किया है कि उसने घटना को देखा था, तो सामान्य मानवीय आचरण के अनुसार वह इन सभी तथ्यों का प्रकटीकरण प्रथम अवसर पर ही पुलिस के समक्ष कर देता, अर्थात जब पुलिस द्वारा पंचनामा आदि तैयार किया जा रहा था और जब ग्राम में प्रकरण की विवेचना चल रही थी। ननहुराम (अभियोजन साक्षी-2) द्वारा घटना का पुलिस के समक्ष प्रकटीकरण न करना और 4-5 दिन की पुलिस अभिरक्षा के पश्चात 9वें दिन प्रकटीकरण करना उसकी साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाता है। हमारा मत है कि ननहुराम (अभियोजन साक्षी-2) के उपर्युक्त आचरण के प्रकाश में विद्वान सत्र न्यायधीश को ननहुराम (अभियोजन साक्षी-2) की साक्ष्य को त्याग देना चाहिए था।

(9) ननहुराम (अभियोजन साक्षी-2) का कथन चिकित्सकीय साक्ष्य द्वारा पुष्ट नहीं होता, क्योंकि शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक को यद्यपि गर्दन में रस्सी पाई गई, किन्तु मृतक की गर्दन पर कोई लिगेचर चिन्ह नहीं पाया गया। इससे ननहुराम (अभियोजन साक्षी-2) द्वारा बताए गए आक्रमण के तरीके का खंडन होता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(10)हम इस प्रकरण में प्रकट होने वाली एक महत्वपूर्ण विशेषता का भी उल्लेख कर सकते हैं। यदि मृतक की हत्या अपीलकर्ताओं द्वारा, जैसा कि ननहुराम (अभियोजन साक्षी-2) ने दावा किया है, ग्राम केरकाचार में की गई थी, जो उस स्थान से 2 कि.मी. की दूरी पर है जहाँ शव पाया गया, तो अपीलकर्ता शव को केरकाचार से मरोल क्यों ले जाते। यह ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें कथित घटना अपीलकर्ताओं के घर में या उनके विशेष अधिकार वाले स्थान पर हुई हो और उनके पास अपने स्थान पर कोई साक्ष्य न छोड़ने के लिए शव को दूर फेंकने का कोई कारण रहा हो। ननहुराम (अभियोजन साक्षी-2) के अनुसार घटना ग्राम केरकाचार के बाहरी क्षेत्र में हुई थी। अपीलकर्ताओं द्वारा पहले मृतक की हत्या करना और उसके पश्चात शव को ग्राम मरोल ले जाना भी अप्राकृतिक प्रतीत होता है। यदि अपीलकर्ता हत्या के साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास कर रहे होते, तो वे मृतक के शव को इतनी लंबी दूरी तक क्यों ले जाते। उन्हें किसी अन्य स्थान पर शव फेंक देना चाहिए था और वे उसे मृतक के घर के पीछे फेंकने का चयन नहीं करते, जो उस स्थान से 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित था जहाँ कथित रूप से मृतक की हत्या की गई थी।

(11)उपर्युक्त कारणों से हम ननहुराम (अभियोजन साक्षी-2) की साक्ष्य पर भरोसा नहीं करते। हमारा मत है कि ननहुराम (अभियोजन साक्षी-2) की साक्ष्य पूर्णतः अविश्वसनीय है। विद्वान सत्र न्यायधीश ने विधि में त्रुटि करते हुए ननहुराम (अभियोजन साक्षी-2) की एकमात्र साक्ष्य पर भरोसा किया और इस प्रकार अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 302/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया।

(12)उपर्युक्त कारणों से अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 302/34 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश अपास्त किए जाते हैं। अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध आरोपित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

(13)यह अभिलिखित है कि अपीलकर्ता बसंत राम एवं अशोक कुमार जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा मुचलके उन्नमोचित किए जाते हैं। अपीलकर्ता हेमंत राम एवं अरविंद राम कारागार में हैं। यदि किसी अन्य प्रकरण में उनकी आवश्यकता न हो तो उन्हें तत्काल मुक्त किया जाए।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा

न्यायधीश

सही/-
राधे श्याम शर्मा

न्यायधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. Shraddha Raj Jyotishi